न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी : श्री हेमन्त स्वरूप माथुर, आर.ए.एस

अपील संख्या आर टी ए/360/2017

उनवान

1. दौलत सिंह पिता शक्तिसिंह राजपूत निवासी सुरडिया तहसील माण्डलगढ जिला भीलवाडा

अपीलाण्ट

बनाम

1. गोपाल सिंह पिता मनोहर सिंह राजपूत निवासी सुरडिया तहसील माण्डलगढ जिला भीलवाडा
2. शंकर सिंह पिता मनोहर सिंह राजपूत निवासी सुरडिया तहसील माण्डलगढ जिला भीलवाडा
3. डुंगर सिंह पिता मनोहर सिंह राजपूत मृतक जरिये वारिस बेवा मु0 गोविन्दकंवर बेवा डुंगर सिंह राजपूत निवासी सुरडिया तहसील माण्डलगढ जिला भीलवाडा
4. जीवण सिंह पिता मनोहर सिंह राजपूत निवासी सुरडिया तहसील माण्डलगढ जिला भीलवाडा
5. लाली कंवर पुत्री मनोहर सिंह राजपूत निवासी सुरडिया तहसील माण्डलगढ जिला भीलवाडा
6. मगन कंवर पत्नी मनोहर सिंह राजपूत निवासी सुरडिया तहसील माण्डलगढ जिला भीलवाडा
7. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार माण्डलगढ जिला भीलवाडा

रेस्पोडेण्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
अपील विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी, माण्डलगढ के
प्रकरण संख्या 88/2013 निर्णय दिनांक 5.6.2017

अधिवक्तागण :–

1. श्री आर सी सारस्वत , अधिवक्ता अपीलार्थी

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

2.श्री रामावतार गौतम,अधिवक्ता प्रत्यर्थी सं01 से 6
3. श्री ओमप्रकाश सोनी, राजकीय अधिवक्ता

निर्णय

दिनांक 28.8.2019

1. अपीलाधीन मामले के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रत्यर्थी संख्या 1 से 6 /प्रार्थीगण ने अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम सुरडिया पटवार हल्का कल्याणपुरा स्थित आराजी नम्बर 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135 कुल किता 8 रकबा 27 बीघा 03 बिस्वा स्थित है। प्रार्थीगण का रास्ता ग्राम सुरडिया पटवार हल्का कल्याणपुरा तहसील माण्डलगढ की सरहद में गांव से निकलता हुआ पक्की सडक से आम रास्ता विपक्षीगण की आराजी नम्बर 113 से होता हुआ आराजी नम्बर 127 में प्रवेश करता हुआ प्रार्थीगण की आराजी नम्बर 128, 129 में प्रवेश करता है जो उत्तरी दिशा में दक्षिण दिशा की ओर जाता है । उक्त रास्ता 14 फिट चौडा होकर प्रार्थीगण वर्षो से उसका उपयोग उपभोग करते चले आ रहे हैं उक्त रास्ता काफी चौडा होकर कदीमी है। उक्त रास्ता मौके पर मौजूद होकर चिरकाल से प्रयोग में आ रहा है । इस रास्ते के अलावा प्रार्थी को अपनी आराजी मे पहूँचने हेतु कोई अन्य सुगम रास्ता उपलब्ध नहीं है। उक्त रास्ता रेकार्ड में दर्ज किया जाना न्यायसंगत है। विपक्षीगण द्वारा उक्त रास्ते को कांटों की बाड जगह जगह लगाकर बंद कर कई जगहों से हांक कर उसके स्वरूप को नष्ट करने का प्रयास किया । जिसे खुलासा कराया जाना विधिसंगत है। प्रार्थीगण विपक्षीगण की भूमि में आने वाले रास्ते की भूमि की डी एल सी दर से कीमत अदा कराने को तत्पर है।

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

2. अधीनस्थ न्यायालय में प्रकरण पंजिबद्ध किया गया एवं बाद विचारण अपीलाधीन निर्णय द्वारा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया । जिससे व्यथित होकर यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है।

3. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

4. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता ने अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधिनस्थ न्याालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय एक पक्षीय पारित किया था। इस कारण अपीलार्थी को अपीलाधीन निर्णय की जानकारी यथासमय नहीं हो सकी थी। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा जारी नोटिस की अपीलार्थी/प्रतिवादी पर प्रोपर तामील नहीं हुई थी। इस कारण अपीलार्थी अधिनस्थ न्यायालय में उपस्थित नहीं हो सका । अपीलाधीन निर्णय की जानकारी होने पर अपीलाधीन निर्णय की प्रति प्राप्त कर अविलम्ब अपील प्रस्तुत की है । अतः अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षम्य किया जावे।

5. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता का निवेदन है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधि एवं तथ्यों के विपरीत होने से खारिज योग्य है। उनका यह भी निवेदन है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पोडेण्ट्स/प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम को स्वीकार कर अपीलार्थी की आराजी नम्बर 113, 127 में प्रवेश करता हुआ 14 फिट चौडा रास्ता कायम किये जाकर सिवायचक खाते में दर्ज करने का आदेश पारित किया है। जो त्रुटिपूर्ण व वाकियाती तथा वैधानिक तथ्यों के विपरीत होने से खारिज योग्य है।

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

6. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि प्रार्थी का आवेदन दिनांक 3.10.2013 को पेश हुआ व निर्णय दिनांक 5.6.2017 को पारित हुआ । इस प्रार्थना पत्र में प्रार्थी संख्या 3 डूंगर सिंह पिता मनोहर सिंह की मृत्यु आदेश पारित होने से पूर्व बल्कि प्रार्थना पत्र पेश करने से पूर्व ही हो चुकी थी , जिसका नामान्तरकरण संख्या 264 दिनांक 15.6.2015 को उनके वारिसान के नाम पर दर्ज रेकार्ड किया गया । इस प्रकार जो अपीलधीन आदेश पारित किया गया है वह मृतक व्यक्ति डूंगर सिंह के नाम से पारित होकर शून्य व अप्रभावी होकर निरस्त योग्य है।

7. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि रेस्पोडेण्ट संख्या 3 डूंगर सिंह के वैधानिक वारिसान के द्वारा आवेदन पेश नहीं किया गया है एवं मृतक व्यक्ति के नाम से आवेदन प्रस्तुत किया गया एवं दौराने विचारण प्रार्थना पत्र मृतक डूंगर सिंह के वारिसान को रेकार्ड पर नहीं किया गया एवं अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है। जो विधिविपरीत होने से खारिज योग्य है।

8. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी/प्रतिवादी को नोटिस की प्रोपर तामील नहीं कराई गई है। किसी शंकरसिंह नामक व्यक्ति पर नोटिस की तामील हुई है जो कि प्रकरण में पक्षकार नहीं है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा जारी नोटिस की पुश्त पर रेस्पोडेण्ट ने किसी फर्जी व्यक्ति के हस्ताक्षर करवाये गये है। उसके बावजूद अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थी/विपक्षी की प्रोपर तामील मानकर अपीलार्थी/विपक्षी के विरूद्ध अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जो खारिज योग्य है।

9. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 2.11.2017 को एक सूचना पत्र अपीलार्थी को जारी कर उक्त निर्णय और

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

उसकी पालना में डी एल सी दर के रूपये जमा कराये जाने बाबत प्राप्त होने से उक्त अपीलाधीन निर्णय की जानकारी 14.11.2017 को प्राप्त हुई। इस सूचना पत्र में डीएलसी दर की राशि भी गलत वर्णित की गई है। जबकि डी एल सी दर से दोगुनी राशि प्रदान की जाने के प्रावधान है। अधिनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में डी एल सीदर पर वादग्रस्त रास्ता कायम किये जाने का अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो विधिविरूद्ध होने से खारिज योग्य है।

10. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है। जबकि विधि अनुसार भू अभिलेख निरीक्षक या उससे उच्च राजस्व अधिकारी द्वारा मौका रिपोर्ट तैयार किया जाना आवश्यक है। भू अभिलेख निरीक्षक या उससे उच्च राजस्व अधिकारी द्वारा मौका रिपोर्ट को ही ग्राह्य की जा सकती है। अधिनस्थ न्यायालय ने पटवारी की रिपोर्ट के आधार पर अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जो विधिविरूद्ध होने से खारिज योग्य है। अतःअपील अपीलार्थी स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को निरस्त किया जावे एवं प्रकरण में अपीलार्थी को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर पुनः निर्णय पारित करने हेतु प्रकरण को अधिनस्थ न्यायालय में प्रतिप्रेषित किया जावे।

11. हमनें अधिवक्ता अपीलाण्ट की एकपक्षीय बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात, साक्ष्य, रेकार्ड का प्रकरण के परिप्रेक्ष्य में अवलोकन किया । अपीलार्थी ने अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपील अपीलार्थी अन्दर मियाद माने जाने का निवेदन किया। अपीलार्थी ने अपील विलम्ब से प्रस्तुत किये जाने का जो कारण अंकित किया है वह सद्भाविक एवं संतोषप्रद होने के कारण अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार कर अपील अपीलार्थी अन्दर मियाद मानी जाती है।

12. अपीलार्थी का कथन है कि अपीलार्थी/प्रतिवादी को अधिनस्थ न्यायालय द्वारा जारी नोटिस की प्रोपर तामील नहीं कराई गई थी। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया । अधिनस्थ न्यायालय द्वारा जारी नोटिस दिनांक 8.10.2013 जो कि तारीख पेशी दिनांक 11.12.2013 को उपस्थित होने के लिए जारी किया गया था। प्रतिवादी दौलत सिंह को जारी नोटिस की पुश्त पर दौलत सिंह के हस्ताक्षर अंकित है एवं प्रतिवादी संख्या 2 चांद कंवर पत्नि लाल सिंह को जारी नोटिस की पुश्त पर शंकर सिंह के हस्ताक्षर है जिसे चांद कंवर का पुत्र बताया गया है। जबकि शंकर सिंह का प्रतिवादी के साथ क्या रिश्ता है इसका अंकन नहीं किया गया है। उसके उपरान्त अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पुनः दिनांक 12.3.2013 को नोटिस चांद कंवर को जारी किया गया जिसकी पुश्त पर मोहन सिंह को नोटिस की तामील कराई गई। उक्त नोटिस की पुश्त पर मोहन सिंह को चांद कंवर का पुत्र बताया गया है। ऐसी स्थिति में अपीलार्थी का यह कथन कि अपीलार्थीगण/प्रतिवादीगण को अधिनस्थ न्यायालय द्वारा जारी नोटिस की प्रोपर तामील नहीं हो पाई थी उचित प्रतीत नहीं होता है।

13. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता का यह निवेदन है कि प्रत्यर्थी संख्या 3/प्रार्थी डूंगर सिंह की मृत्यु अधिनस्थ न्यायालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के पूर्व ही हो चुकी थी। जिसका विरास्त से नामान्तरकरण संख्या 264 दिनांक 15.6.2015 को उनके वारिसान के नाम पर दर्ज रेकार्ड किया गया । अपीलाधीन निर्णय दिनांक 28.11.2017 को पारित किया गया है। अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी संख्या 3 डूंगर

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

सिंह के वारिसान को पक्षकार संयोजित कर अपील प्रस्तुत की गई है ।

14. अपीलार्थी का यह भी कथन रहा है कि वादग्रस्त आराजी में रास्ता दर्ज किये जाने बाबत जो डी एल सी दर का निर्धारण किया है वह गलत है। इस सबंध में अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध पंजिकरण एंव मुद्रांक (सब रजिस्ट्रार) माण्डलगढ द्वारा डी एल सी के संबंध में संलग्न रेकार्ड का अवलोकन किया गया । जिसके अनुसार ग्राम सुरडिया की सिंचित आराजी की बीघा दर 86,160/—रूपये दर्शाया गया है। जबकि वादग्रस्त आराजी नम्बर 113 एवं 127 ग्राम सुरडिया की किस्म जमाबंदी के संवत 2068 से 2071 के अनुसार भूमि की किस्म बंजड दर्शायी गई है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा सिंचित भूमि की दर से राशि का निर्धारण अनुसार डीएलसी दर की राशि की दुगुनी राशि प्रतिवादीगण को भुगतान किये जाने का आदेश पारित किया है। जो विधिसम्मत नहीं कहा जा सकता।

15. अधिनस्थ न्यायालय द्वारा रास्ते बाबत मौका रिपोर्ट तलब की गई। उक्त रिपोर्ट के साथ नजरी नक्शा भी संलग्न नहीं किया गया है। जिससे यह साबित हो सके कि कौनसी आराजी में आने—जाने के लिए कौन—कौनसी आराजी नम्बर में से रास्ता दिया जाना है। ऐसी स्थिति में अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न मौका रिपोर्ट अपूर्ण है। अधिनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय मे रिपोर्ट पटवारी हल्का द्वारा तैयार कर तहसीलदार माण्डलगढ के समक्ष प्रस्तुत करने का अंकन किया गया है। यद्यपि अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न मौका रिपोर्ट भू अभिलेख निरीक्षक द्वारा तैयार कर प्रस्तुत की गई है। जिसकी कार्बन प्रति अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न है। सहवन से अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपने निर्णय

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

में पटवारी हल्का की रिपोर्ट का अवलोकन कर अपीलाधीन निर्णय पारित किये जाने का अंकन किया है, उक्त अंकन सहवन से किया जाना प्रतीत होता है। रास्ते के निर्धारण से पूर्व समरी इन्क्वायरी किये जाने बाबत चाही गई रिपोर्ट गिरदावर या उससे उच्च स्तर के राजस्व अधिकारी द्वारा तैयार करवाई जाना अनिवार्य है। जिसमें रास्ते की आत्यंतिक आवश्यकता एवं वैकल्पिक रास्ता नहीं होने की अवस्था में ही रास्ता राजस्व रेकार्ड में दर्ज किये जाने का प्रावधान है। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न पर्चा मौका रिपोर्ट के साथ नजरी नक्शा संलग्न नहीं होने से अपूर्ण मौका पर्चा के बावजूद अधिनस्थ न्यायालय द्वारा संलग्न मौका पर्चा रिपोर्ट के आधार पर अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जिसका समर्थन नहीं किया जा सकता है।

16. अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 5.6.2017 को निरस्त किया जाता है एवं प्रकरण उपरोक्त ऑब्जर्वेशन के आधाार पर सक्षम अधिकारी द्वारा मौका रिपोर्ट तैयार करवाई जाकर उभयपक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर उपलब्ध रेकार्ड, दस्तोवजों के आधार पर गुणावगुण पर विस्तृत निर्णय पारित किये जाने हेतु अधिनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाता हैं। उभयपक्ष अधिनस्थ न्यायालय में दिनांक 03.10.19 को उपस्थित रहें।

17. निर्णय आज दिनांक 28.8.2019 को सरे इजलास सुनाया गया ।

28/8/19

भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी,
भीलवाड़ा

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भीलवाड़ा